

09.09.2022 को आयोजित कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड (SEZ) की यूएसी (UAC) बैठक का कार्यवृत्त

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

श्री ए. बिपिन मेनन विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 09.09.2022 को दोपहर 2 बजे आयोजित कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एस.ए.एस नगर मोहाली, पंजाब की इकाई अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इकाई अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:

1. श्री उत्पल आचार्य, अपर डीजीएफटी (DGFT) लुधियाना
2. श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड।
3. श्री विश्व बंधु, अतिरिक्त निदेशक उद्योग, पंजाब
4. श्री दीपक बजाज, अधीक्षक आईसीडी (ICD), थापड़, बड़ी।

बैठक के दौरान श्री देवेन्द्र बहुगुणा, सहायक विकास आयुक्त, सुश्री वैशाली चंडोक, निर्दिष्ट अधिकारी कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोहाली, श्री मलकीत सिंह अधिकृत अधिकारी, आरजीसीटीपी (RGCTP)-1, चंडीगढ़ और सुश्री शर्ली सूद, अधिकृत अधिकारी, आरजीसीटीपी(RGCTP)-II और M/s सन फार्मा, मोहाली भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. दिनांक 28.07.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन: -

चूंकि 28.07.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, 28.07.2022 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई थी।

कार्यसूची मद संख्या 2

विषय: एलओए (LOA) एफ.2/7/2005-ईपीजेड (EPZ) दिनांक 22.05.2008 - शेयरों में परिवर्तन (100%), सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (कार्क सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड (SEZ) के सह-विकासक) और निदेशकों में परिवर्तन।

2.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया था कि M/s सनी व्यू एस्टेट्स ने अपने पत्र संख्या एसवीईपीएल (SVEPL)/एसईजेड (SEZ)/01 दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से शेयरों के 100% हस्तांतरण और मौजूदा निदेशकों को नए निदेशकों के साथ बदलने के लिए आवेदन किया था। कार्क एसईजेड, मोहाली के सह-विकासक के रूप में 1.13 एकड़ के एसईजेड के विकास के लिए सह-विकासक को एलओए (LOA) नंबर एफ.2/7/2005-ईपीजेड

२। ३२५

(EPZ) दिनांक 22-05-2008 द्वारा अनुमोदित किया गया था। सह-विकासक यानी सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (एसवीईपीएल [SVEPL]), M/s शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एसपीसीपीएल [SPCPL]) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसपीसीपीएल (SPCPL) के पास एसवीईपीएल (SVEPL) में 100% हिस्सेदारी है। सह-विकासक की आने वाली इकाई के नाम में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी M/s सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड ही रहेगा।

2.2 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सह-विकासक ने कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित एक कंपनी, M/s मयूर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 100% हिस्सेदारी के हस्तांतरण के माध्यम से एसवीईपीएल (SVEPL) में अपनी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा है। इस कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या U51909WB1979PTC031929 है और 40 शेक्सपियर सारणी, कोलकाता - 700017 में इसका पंजीकृत कार्यालय है।

2.3 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि M/s एसवीईपीएल (SVEPL) ने उक्त भूखंड पर 36,673 वर्गमीटर के कुल निर्मित क्षेत्र का निर्माण किया है। वर्तमान में, उन्होंने हमारे ग्राहक, अर्थात् सीआरएम (CRM) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पारेक्सेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एस्केलॉन बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर देने योग्य क्षेत्र का 95% से अधिक पट्टे पर दिया है, जिसमें से दो इकाइयां पहले से ही संचालन में हैं। M/s सीआरएम (CRM) का संचालन सितंबर, 2022 से शुरू होने की संभावना है।

2.4 शेयरों के प्रस्तावित हस्तांतरण और एसवीईपीएल के निदेशक पद के स्वरूप में बदलाव निम्नानुसार है:

वर्तमान शेयरधारिता पैटर्न

क्रमांक	शेयरधारक का नाम	हिस्सेदारी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1	शापूरजी पल्लोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	49,980	99.96
2	फिरोज के. भथेना के साथ संयुक्त रूप से शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	10	0.02
3	आदिल पी. खंबाटा के साथ संयुक्त रूप से शापूरजी पल्लोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	10	0.02
	कुल	50,000	100

राजेश

प्रस्तावित शेयरधारिता पैटर्न

क्रमांक	शेयरधारक का नाम	हिस्सेदारी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1	मयूर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	49,980	99.96
2	श्री संजय धानुका के साथ संयुक्त रूप से मयूर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	10	0.02
3	श्री मयंक धानुका के साथ संयुक्त रूप से मयूर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	10	0.02
	कुल	50,000	100

शेयरों के प्रस्तावित हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप, एसवीईपीएल के निदेशक मंडल में परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्तमान निदेशक

क्रमांक	निदेशक का नाम	शोर (DIN)
1	श्री विरल ठक्कर	6919887
2	श्री राजीव चटर्जी	6606247
3	श्री राजेश बक्षी	6472552

प्रस्तावित निदेशक

क्रमांक	निदेशक का नाम	शोर (DIN)
1	श्री संजय धानुका	00539356
2	सुश्री आशा धानुका	00539382
3	श्री मयंक धानुका	02905978

2.5 सह-विकासक ने प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए:

क्रमांक	विवरण
1	क्रेता यानी मयूर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी प्रोफाइल
2	सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की सीए (CA) प्रमाणित शेयरधारिता
3	एसईजेड (SEZ) गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता के लिए वचन पत्र - मयूर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड।
4	आशय पत्र - मयूर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
5	एमओए (MOA) और एओए (AOA) - मयूर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
6	निदेशकों की सूची - मयूर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
7	पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट - मयूर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
8	पिछले 3 वर्षों के लिए आईटीआर (ITR) - मयूर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
9	बोर्ड संकल्प मयूर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड

21/1/22

क्रमांक	विवरण
10	बोर्ड संकल्प शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
11	बोर्ड संकल्प सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
12	एसईजेड (SEZ) क्षेत्र दिखाने वाला नक्शा
13	सह- विकासक SEZ अधिसूचना
14	कार्कसिटी एसईजेड (SEZ) अधिसूचना।

2.6 श्री अमित राज, श्री गौरव श्योराण और श्री जतिंदर सिंह, सह- विकासक के अधिकृत प्रतिनिधि अपने प्रस्ताव को समझाने के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि मूल कंपनी एसपीसीपीएल (SPCPL) केंद्र सरकार के साथ साझेदारी में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है और सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार के दृष्टिकोण में भारी निवेश कर रही है। इसलिए, वह अपने रियल एस्टेट व्यवसाय के लिए एक संविभाग में बदलाव कर रहे हैं, जिससे वह अपने संगठन की रणनीतिक दृष्टि के अनुरूप अपनी कुछ वाणिज्यिक संपत्तियों को बेचने का इरादा रखते हैं। चूंकि एसईजेड (SEZ) एक विशेष व्यवसाय है जिसके लिए विपणन और अनुपालन के लिए समर्पित प्रयासों की आवश्यकता होती है, वह उस पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि M/s एसवीईपीएल (SVEPL) ने उक्त भूखंड पर 36,673 वर्गमीटर के कुल निर्मित क्षेत्र का निर्माण किया है। वर्तमान में, उन्होंने अपने क्लाइंट, अर्थात् सीआरएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, परेक्सेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एस्कैलॉन बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर देने योग्य क्षेत्र का 95% से अधिक पट्टे पर दिया है, जिसमें से दो इकाइयाँ पहले से ही संचालन में हैं।

2.7 M/s मयूर सेल्स से श्री बालकिशन नेवतिया और श्री संजय धानुका बैठक में शामिल हुए और समिति को सूचित किया कि मयूर बिक्री पिछले तीस वर्षों से कोलकाता और अहमदाबाद में प्रमुख भूमि के पट्टे के कारोबार में है। हालांकि, यह पहली बार था जब वे आईटी (IT) क्षेत्र में एसईजेड (SEZ) में प्रवेश कर रहे थे। पूछताछ करने पर, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे इस क्षेत्र में अतिरिक्त अवसरों की तलाश करेंगे।

2.8 अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के अनुसार शेरधारिता पैटर्न और निदेशकों में परिवर्तन को मंजूरी दी, जो निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:

1. कंपनी रजिस्ट्रार का अनुपालन पूरा किया जाएगा और सनी व्यू प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म डीआईआर (DIR) 11/12, संशोधित एमओए (MOA) आदि जमा किए जाएंगे।
2. परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्व के साथ एसईजेड (SEZ) गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता;
3. परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना;
4. सभी राजस्व/कंपनी मामलों/सेबी (SEBI) आदि अधिनियमों/नियमों के अनुपालन की प्रयोज्यता जो पूंजीगत लाभ, हिस्सेदारी परिवर्तन, हस्तांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं;

राजेश

5. हिस्सेदारी/विलय में परिवर्तन, डीमर्जर, मिश्रण या स्वामित्व में हस्तांतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण तुरंत सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी (CBDT), राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।
6. निर्धारण अधिकारी को हिस्सेदारी या विलय, डीमर्जर, मिश्रण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि के हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने का अधिकार होगा और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा।
7. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो;
8. आवेदक सीबीडीटी (CBDT) को पैर और इकाई के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करेगा
9. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

कार्यसूची मद संख्या 3

विषय: सीआरएम (CRM) सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड -एलओए (LOA) नंबर एसईजेड (SEZ) (एसवीईपीएल[SVEPL])/इकाई /04/02/2022/858 दिनांक 31.01.2022- क्षेत्र में विस्तार और एसईजेड इकाई का संशोधित प्रक्षेपण - रेग।

3.1 इकाई को यह सूचित किया गया था कि M/s सीआरएम (CRM) सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पत्र दिनांक के माध्यम से अपनी एसईजेड (SEZ) इकाई के क्षेत्र में 157663 वर्ग फुट से 184272 वर्ग फुट तक बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, जिसमें एसईजेड (SEZ) भवन के 13 वीं मंजिल पर 26609 वर्ग फुट का अतिरिक्त स्थान प्राप्त किया गया था। अनुमानों में निम्नलिखित संशोधन किया गया है:

(रुपये लाख में)

विवरण (पांच वर्ष के लिए)	मौजूदा प्रोजेक्शन	संशोधित प्रक्षेपण
निर्यात का अनुमानित एफओबी (FOB) मूल्य	14238.03	16611.04
विदेशी मुद्रा व्यय	1500.00	1750.00
5 साल की अवधि में एनएफई	12738.03	14861.04
स्वदेशी तटरक्षक	4500.00	5250.00

3.2 एसईजेड (SEZ) इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिरीष पंड्या अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि वृद्धि, संचालन की सुगमता के लिए किया जा रहा है।

अ. जे. शर्मा

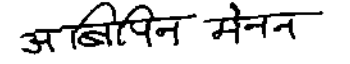
3.3 अनुमोदन समिति ने क्षेत्र के प्रस्तावित वृद्धि और इकाई के संशोधित अनुमानों को इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया कि इकाई विदेशी मुद्रा व्यय/आयातित पूंजीगत वस्तुओं का विवरण प्रदान करेगी।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(राजेश कुमार)

उप. विकास आयुक्त



(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त